भाग–II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जुलाई, 2026

संख्या लैज. 26/2026.– दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2026 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 जुलाई, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त ऑर्डिनन्स का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973
को आगे संशोधित
करने के लिए
अध्यादेश

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः–

1. यह अध्यादेश हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 200 के खण्ड (झ) में, ''या अनुज्ञप्ति दी गई है,'' और ''या अनुज्ञप्त'' शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा। 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 200 का संशोधन।

चण्डीगढ़ः
दिनांकः 23 जुलाई, 2026

प्रो0 असीम कुमार घोष
राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12754—L.R.—H.G.P., Pkl.